न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 37/2018 (राजसमन्द डिक्री)

1. श्री ख्यालीलाल पिता रंगलाल महाजन निवासी बिनोल तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)
2. श्री उदयसिंह पिता मूलसिंह जी चुण्डावत निवासी नवलसिंह जी का खेड़ा तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज0)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्री शंकरलाल पिता दीपचंद गुर्जर निवासी साकरोदा तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज0)
2. श्री नारू पिता देवा जी गुर्जर निवासी देवरीखेड़ा तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजसमन्द

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) राजसमन्द दिनांक 19–07–2018 प्रकरण संख्या 98/2018 वाद

———/———

उपस्थित :–1– श्री मुकेश तलेसरा अभिभाषक अपीलान्ट

2– राजकीय अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट संख्या–3

———/———

निर्णय **दिनांक 19–12–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में स्थाई निषेधाज्ञा का एक वाद पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम देवली खेड़ा में उसकी सह–खातेदारी की आराजी नंबर 187 रकबा 13 बिस्वा को रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 व 2 प्रतिवादी द्वारा बिना विक्रय प्रतिफल धोखाधड़ी से विक्रय पत्र

निष्पादित करवा लिया, वह विक्रय पत्र प्रकरण विधि शून्य है। अतः उसे स्थाई निषेधाज्ञा दिलवाई जाय। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा आदेश–7, नियम–11 जाब्ता दीवानी का आवेदन पेश कर विक्रय पत्र निरस्तीकरण सिविल न्यायालय में कर दिया है। वाद विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया। जिसके खण्डन का जवाब वादी अपीलान्ट द्वारा पेश किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट का आवेदन स्वीकार कर वाद दिनांक 19–7–2018 को खारिज कर दिया। जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 30–7–2018 को पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थि रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–3 की और से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटिपूर्ण होना बताते हुए खारिज करने की प्रार्थना की। वहीं राजकीय अधिवक्ता द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि वादी का वाद साक्ष्य लिए बिना निर्णित किया गया। वाद की विषय–वस्तु विधि एवं साक्ष्य का मिश्रित बिन्दू पर साक्ष्य लिये बिना निर्णय नहीं किया जा सकता था। प्रकरण राजस्व न्यायालय के क्षैत्राधिकार का ही था।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि वादी अपीलान्ट स्वयं यह वाद में कहकर आता है कि उससे प्रतिवादीगण द्वारा धोखाधड़ी से विक्रय पत्र निष्पादित करवा लिया। यदि कोई विक्रय पत्र धोखाधड़ी से भी निष्पादित होता है, तो उसे निरस्त करने का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय का नहीं होता अर्थात विक्रय पत्र वोईडेबल होता है, न की वोईड। तद्नुसार वादपत्र अनुसार ही वाद में राजस्व न्यायालय का क्षैत्राधिकार नहीं होना सुस्पष्ट है। विक्रय पत्र अस्तीत्व में होने से वह बिना खातेदारी घोषणा के

सिर्फ स्थाई निषेधाज्ञा की ही दाद चाहना अपीलान्ट का लेखन चातुर्य है। जबकि मूल विवाद हस्ब वादपत्र ही विक्रय पत्र के निरस्तीरकरण का है।

उपरोक्तानुसार वाद के कथनानुसार ही वाद राजस्व न्यायालय के क्षैत्राधिकार में नहीं होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद औचित्यपूर्ण रूप से क्षैत्राधिकार विहित वाद होने से खारिज किया गया है। जिसमें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं की है।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 19–7–2018 यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्ठि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 19–12–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ**. .....मुकाम .....

उदयपुर व इजलास ..... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** .....

श्री ख्यालीलाल पिता रंगलाल महाजन निवासी बिनोल तहसील व जिला राजसमन्द बनाम **1– श्री शंकर पिता दीपचंद गुर्जर निवासी साकरोदा तहसील आमेट जिला राजसमन्द अन्य–1 व सरकार**

अपील नं0 **37 / 2018** बनाराजगी डिगरी अदालत..... **उपखण्ड अधिकारी** ..... **राजसमन्द**..... मुकाम मुर्ख्वे.....**19**.....माह.....**07**..... **2018**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख .....**19**..... माह .....**12**..... सन् **2018.....** रूबरू..... पक्षकारान व हाजरी ....**श्री मुकेश तलेसरा**..... मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री जी. ए.**..... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 19–7–2018 यथावत रखा जाता है।

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X .....अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख .....**19**..... माह ...**12**..... **2018** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ....स्टाम्प वकालत नामा.... 2. इजराय हुक्मनामा ..... 3. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ**. .....मुकाम ..... **उदयपुर** व इजलास ..... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** .....

पृथ्वीसिंह पिता श्री तखता जी दसाणा राजपूत निवासी सुंखार तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)

बनाम

1– बाबूसिंह पिता लच्छा जी दसाणा राजपूत निवासी सुंखार तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द (राज0) अन्य–26 व सरकार

अपील नं0 **22/2012** बनाराजगी डिगरी अदालत..... **उपखण्ड अधिकारी** ..... **कुम्भलगढ़**..... मुकाम मुक्र्खे.....**12**.....माह.....**01**..... **2012**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख .....**12**..... माह .....**12**..... सन् **2017.....** रूबरू..... पक्षकारान व हाजरी ....**श्री अतुल पालीवाल.....**..... मिनजानिब अपीलान्ट व .....**राजकीय अधिवक्ता**..... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 12–1–2012 यथावत रखा जाती है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X .....अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख .....**12**..... माह ...**12**..... **2017** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
4. स्टाम्प अपील ....स्टाम्प वकालत नामा.... 5. इजराय हुक्मनामा ..... 6. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।